

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMP DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : AJMER-I

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 12-04-2017 2:54 PM

Fee Receipt No	: 201702001005558	Receipt Date	: 12/04/2017
Name	: ARJIT,	Document S. No.	: 201701001005256
Address	: ...		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 20	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 220
		Total Amount	: ₹ 220

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt RJ1412441704647 ₹ 100 # Stamp N.A. ₹ 120

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

सप पंजीयक अजमेर प्रभुस
SUB-REGISTRAR



राजस्थान RAJASTHAN

AG 883913

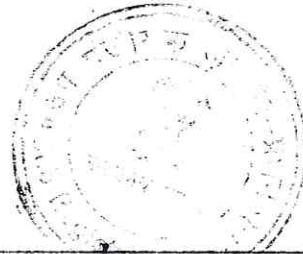


नाम प्रार्थी..... कृ. जित
 क्रम संख्या..... 247
 रसीद संख्या.....
 दिनांक..... 5358
12/4/17

उप पंजीयक अजमेर, प्रथम

राजस्थान स्टाम्प	विवरण 1978 के अनुसार
संख्या	राजस्थान
1. मूल्य	राजस्थान
2. मूल्य और अंश	राजस्थान
(मूल्य)	राजस्थान

045 21000/-



विक्रय-पत्र अंके 1,00,000 /-रुपया मात्र

मुद्रांक 26,200/-रुपये पर

दिनांक 21/5 दिनांक 27/4/5

अविन्द भारद्वाज
नीति पत्र लेखक
जिलाधीश कार्यालय
अजमेर फोन : 2627899
साक्षर

मैं कि रामगोपाल पुत्र श्री किशनलाल टॉक आयु करीबन् वर्ष निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर का हूँ।

जो कि नीचे दिये गये विवरण की आराजी वाले ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर में है, जो मेरी बिना साझे अन्य के मेरी मालिकाना हक की खातेदारी आराजी है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मेरे नाम जरिये नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 14-11-77 के खातेदारी दर्ज है कि जिस आराजी मुबैया का मैं मुक़िर् ही एकमात्र मालिक स्वामी काबिज चला आ रहा हूँ, मेरे अलावा अन्य किसी का कोई किसी प्रकार का हक, हिस्सा या सरोकार निम्नवर्णित आराजी या उसके किसी भाग बाबत नहीं है कि जिस आराजी मुबैया को मेरी ओर से आज से पूर्व ना तो किसी अन्य को विक्रय, रहन, बख्शीश, मुन्तकिल, गिराबार आदि ही किया है एवं ना ही आज से पूर्व का कोई भार या बोझ ही सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कर्ज का ही बकाया है एवं ना ही आराजी या उसका कोई भाग किसी वाद विवाद में ही जैर तनाजा है एवं ना ही आराजी या उसके किसी भाग बाबत किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी विभाग का ही कोई कर आदि ही बकाया है, ग़र्ज यह है कि निम्नवर्णित आराजी हर प्रकार के भार एवं बोझ से पूर्णतया पाक तगी साफ व सुरक्षित है, जिसको हर प्रकार से अन्तरित करने के सब अधिकार मेरे को बहैसियत मालिक स्वामी काबिज हौसिल है।

अब चूँकि आराजी को विक्रय करने से राशि उचित प्राप्त हो रही है एवं

21/05/77

मूल कार्यालय प्रति से भिलास किया
रही पाया।

मूल लिपिक

नवागित प्रतिनिधि

अविन्द भारद्वाज

अविन्द भारद्वाज

अविन्द भारद्वाज, अजमेर-राजस्थान

2-11-2018

[2]

वर्तमान में मेरे को अपने पारिवारिक कार्यों के लिये पैसे की अत्यावश्यकता है, तथा अन्य किसी प्रकार से पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही है, अतः मय नींव, सींव, धोरा, डाल, पल, पेड़ अड़त, पड़त, गुड़त, लूंग यापड़ी मय दरखान मय हक आमद रफत मय तमामी आहद हक हकूक मुतालिका उसके बिल एवज मुबलिंग 1,00,000/- रु अक्षरे एक लाख रुपये सिके भारत सरकार के उक्त मजकूर होते हैं मैं बहक व बदस्त भगवन्त एक्स्प्लोशन फाउण्डेशन रजि० नं० आरजैड 94/397 जीएफपी नं० 56 शिवपुरी बैस्ट सागरपुर न्यू देहली 110046 जरिये उसके अध्यक्ष श्री अनिल सिंह सुपुत्र श्री भगवन्त सिंह जी निवासी 50 आवास विकास कालोनी विजनौर (उत्तर प्रदेश) को कतई तौर पर विक्रय कर दिया है, एव विक्रय करके तमाम राशि क्रेता से प्राप्त करके कब्जा एवं एवमल मालिकाना अपने में से निकाल कर क्रेता को सम्भला दिया हूँ।

अब क्रेता चाहे तो आराजी मुबैया को अपने काम में लाये उसमें स्वयं काशत करे या किसी अन्य से काशत कराये तथा चाहे तो उसे बॉटे पर देवे व चाहे तो किसी अन्य को किरायेतन, रियायतन देवे एवं चाहे तो इसमें निर्माण आदि कराये व चाहे तो किसी अन्य को विक्रय, रहन, बखशीश, भुक्तिकल, गिरावर आदि जो चाहे सो करे एवं चाहे जिस अनुसार हस्बमंशा अपनी के उपयोग-उपभोग में लाये जिसमें मुझ भुकिर एवं भुक्तिकल मेरे व वारिसान् हमारे को कोई किसी प्रकार का उग्र या एतराज नहीं है।

तमाम राशि क्रेता से पूर्व में ही नकद ही प्राप्त कर ली है, अब शेष कुछ भी क्रेता से इस भूखण्ड पेटे लेना बकाया नहीं है, जिसकी ताईद में यही प्रलेख काफी एव पर्याप्त है, अल्हदा रसीद की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं भुकिर इस प्रलेख के माध्यम से यह भी लिख देता हूँ कि यदि आज भी मुझ को कोई भी भार या बोझ निम्न वर्णित आराजी या इसके किसी भाग बाबत बकाया हुआ या

यह प्रलेख प्रति ले मिलने के लिए
हो गया है

२

संलग्नित प्रमाणपत्र

अब अतिरिक्त

३

[3]

निकला या किसी अन्य ने अपना उज्र या एतराज आज से पूर्व का आराजी या उसके किसी भाग पर जताया या बताया एवं उससे आराजी या उसका कोई भाग क्रेता के हाथों से गया या निकला तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मय क्रेता के उस समय तक लगायी लागत के मय हर्जे खर्चें मय ब्याज के अदा करने की मेरी एवं वारिसान मेरी की होगी व रहेगी, क्रेता महोदय को कोई किसी बात की हानि एवं परेशानी नहीं आने दी जावेगी।

गर्ज कि आज के बाद आराजी की हर प्रकार से मालिक क्रेता संस्था हो गयी है, एवं वे जैसे भी चाहेंगे आराजी को बहैसियत मालिक स्वामी काबिज उपयोग उपभोग में ला सकेंगी।

अब क्रेता आराजी सुनैया का नामान्तरण अपने नाम से सम्बंधित विभाग के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे एवं आज के बाद का जो भी लगान आदि आराजी बाबत होगा वह क्रेता स्वयं अदा करेगा।

विवरण आराजी निम्न प्रकार है:-

नाम ग्राम	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा	किस्म
	नया पुराना			
चाचियावास	1 1	1394	13-00-00	बारानी-3

उपरोक्त वर्णित आराजी रकबा तेरह बीघा आराजी सम्पूर्ण को विक्रय कर यह प्रलेख निष्पादित कर दिया है।

विक्रय सम्बन्धी जानकारी निम्न है:-

1. विक्रयशुदा आराजी बारानी-3 है।
2. आराजी कृषि प्रयोजनार्थ है।

राजेश प्रसाद

राजेश प्रसाद

राजेश प्रसाद

2011-12-01

टो

अंगूठा

[4]

लिहाजा यह प्रलेख मैंने अपनी राजी खुशी होश हवास से बिना किसी दबाव के पूरा स्थिर चित्त मन बुद्धी अपनी के लिख दिया है, अरविन्द भारद्वाज नीति पत्र लेखक जिलाधीश कार्यालय परिसर, अजमेर कहे सुकित के लिख दिया है जो रूबरू गवाहान् पद सुन समझ कर हस्ताक्षर किये है, जो सही है, सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे तहरीर आज दिनांक: 2-1-2005 ई0 अजमेर।

हस्ताक्षर: अरविन्द भारद्वाज

1. गवाह श्री नारायण चरणदास

2. गवाह अरवि

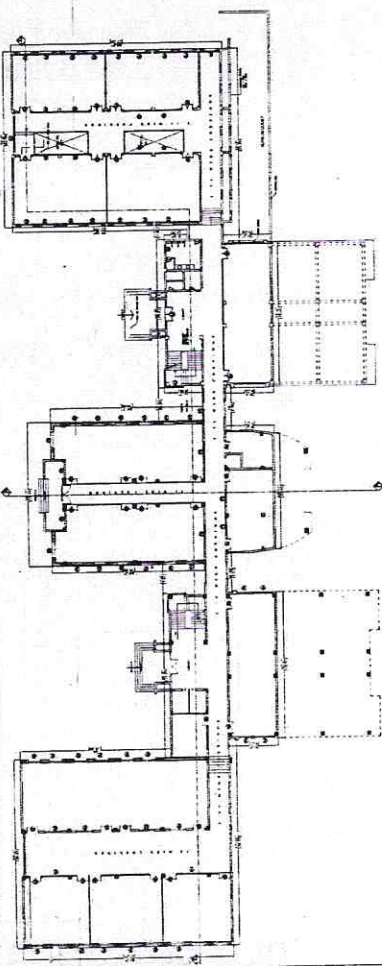


यह सच है कि मैंने सही से मिलान किया है।

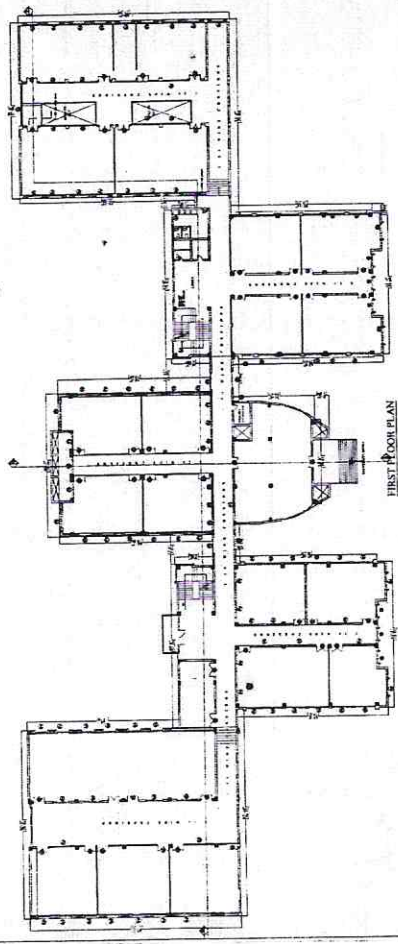
अजमेर

अरविन्द भारद्वाज

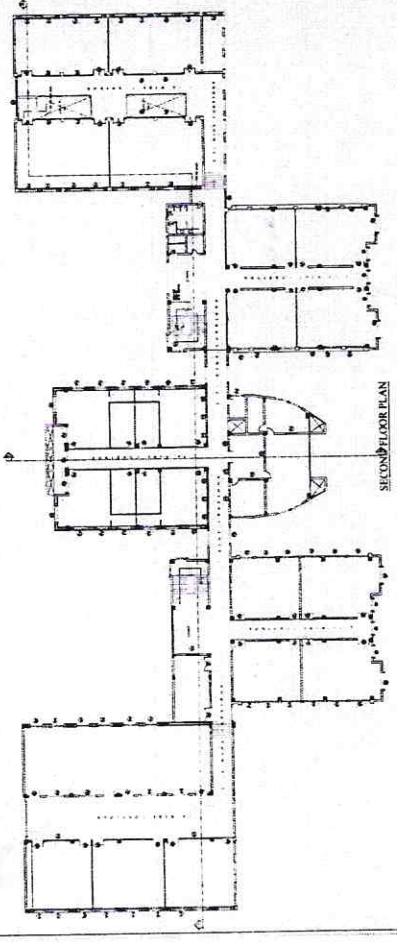
(5)



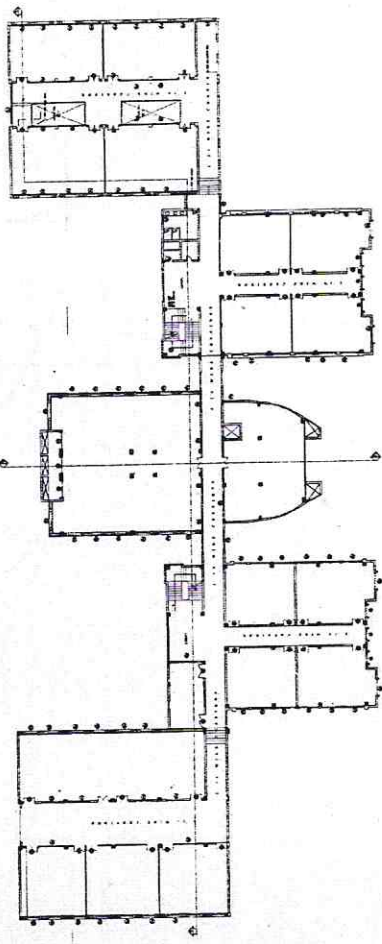
GROUND FLOOR PLAN



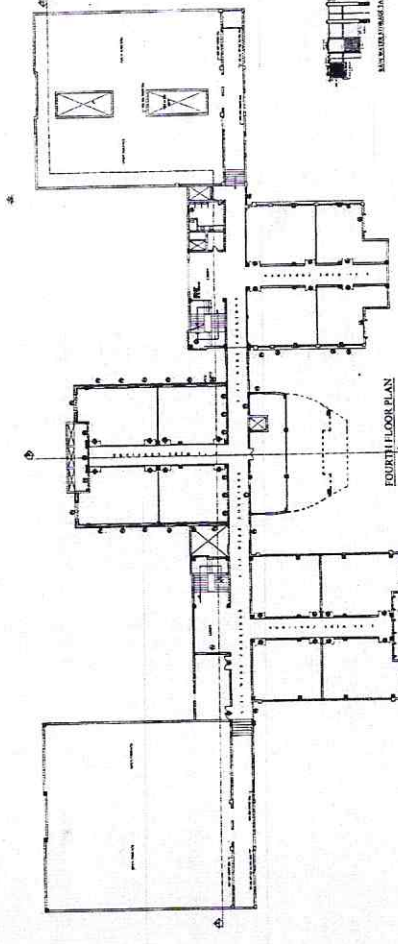
FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



THIRD FLOOR PLAN



FOURTH FLOOR PLAN

GENERAL NOTES	
1.	ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
2.	ALL WALLS ARE 230 MM THICK UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
3.	ALL FLOORS ARE TO BE RAISED 450 MM ABOVE FINISHED GRADE.
4.	ALL ROOFS ARE TO BE FLAT WITH 1% FALL TOWARDS DRAINAGE.
5.	ALL DOORS ARE TO BE OPENING OUTWARDS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6.	ALL WINDOWS ARE TO BE AS SHOWN IN THE SECTIONS.
7.	ALL STAIRS ARE TO BE CONCRETE WITH METAL HANDRAILS.
8.	ALL ELECTRICAL AND PLUMBING WORK IS TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT CODES.
9.	ALL MATERIALS ARE TO BE OF GOOD QUALITY AND AS SPECIFIED IN THE BILL OF MATERIALS.
10.	ALL WORK IS TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE IS CODES.

10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019

10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019

Q. J.
REGISTRAR
Bhagwant University
Ajmer (Raj.)